राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 174 / 2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0

.....वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र शिवराज जाति गुर्जर निवासी बबाई।
2. सुनिल पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी नौरंगपुरा।
3. रामोतार पुत्र हनुमान राम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया।
4. किशनलाल मुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया।
5. ताराचन्द पुत्र बालूराम जाति माली निवासी झुन्झुनूं।
6. प्रदीप कुमार पुत्र नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी झुन्झुनूं।
7. रूड़मल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति माली निवासी कांकरिया।
8. इन्द्राज पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
9. मांगीलाल पुत्र गिगाराम जाति माली निवासी बगड़।
10. बनवारी लाल पुत्र मालाराम
11. प्रभाती लाल पुत्र मालाराम
12. शीशराम पुत्र मालाराम
13. महीपाल पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासीगण कांकरिया
14. इन्द्राज पुत्र बनवारीलाल जाति गुर्जर निवासी कांकरिया।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक 26–08–2020

यह वाद अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (4) के अन्तर्गत इसे वाद पत्र माना गया और तद्नुसार कार्यवाही की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने निवेदन किया कि ग्राम कांकरिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1687 रकबा 4.30 है., ख.नं. 1688 रकबा 1.78 है. उक्त के मुकेश पुत्र शिवराम जाति गुर्जर निवासी बबाई, सुनिल पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी नौरंगपुरा, रामोतार पुत्र हनुमानराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया, किशनलाल पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी कांकरिया, ताराचन्द पुत्र बालूराम जाति माली निवासी झुन्झुनूं, रूड़मल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति माली निवासी कांकरिया, इन्द्राज पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी कांकरिया, मांगीलाल पुत्र गिगाराम जाति माली निवासी बगड़, बनवारी लाल, प्रभातीलाल, शीशराम, महीपाल पिता मालाराम जाति गुर्जर निवासीगण कांकरिया, प्रदीप कुमार पुत्र नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी झुन्झुनूं के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंवर 1687 रकवा 4.30 है., ख.नं. 1688 रकवा 1.78 है. भूमि में खातेदार द्वारा विना किसी स्वीकृति आदि के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है। चूंकि राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। अतः अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्यक् रूप से तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण 1 लगा. 13 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि पटवारी ने रिपोर्ट गलत दी है उक्त भूमि नदी के सहारे पड़ती है जिस वजह से बजरी माफिया रात्रि को लठ के बल पर बजरी ले जाते हैं। इस भूमि के कोई भी खातेदार बजरी नहीं निकाल रहे, ना ही उन्होंने किसी को बजरी खनन की सहमति दी है। प्रथम तो इस भूमि में बजरी का दोहन नहीं किया गया है व जहां से बजरी निकाली गई है वह भी बजरी माफिया जबरन से बजरी ले जाते हैं। किसी भी खातेदार ने अपनी भूमि में से बजरी का दोहन नही नहीं किया ना ही पटवारी ने किसी को दोहन करते देखा है।

तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि ख.नं. 1687, 1688 का नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता सं. 342 तथा पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2013 पेश की जिसके अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि ख.नं. 1687 रकबा 4.30 है., ख.नं. 1688 रकबा 1.78 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। मौके पर खनन किया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पटवारी हल्का से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1687, 1688 पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये हैं। उक्त खसरा नंबर 1687, 1688 को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पटवारी हल्का कांकरिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2013 व दिनांक 4.03.2020 की रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। खातेदारान द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। बंजड़–2 दर्ज भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामवासियान से बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तथा धरना प्रदर्शन किये जा रहे है जिससे क्षेत्र की लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विवादित भूमि ख.नं. 1687 रकबा 4.30 है., ख.नं. 1688 रकबा 1.78 है. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी (तहसीलदार, खेतड़ी) स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1687 रकबा 4.30 हैक्टेयर, ख.नं. 1688 रकबा 1.78 हैक्टेयर भूमि को राजगामी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नंवर से खातेदारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें बेदखल करें व उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय दर्ज करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner